तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला बनाम रेवन्ती देवी आदि प्रकरण संख्या 27A / 2017	नंबर व तारीख अहकाम जी इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.11.22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादिनी ने उपर्युक्त अनवानी दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का पेश किया हैं जो तनकी की स्टेज पर जैरकार हैं। वादिनी ने अपने दावा में अपने स्वयं द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2004 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2005 को कूटरचित व फर्जी बताया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। वादिनी ने केवल मात्र प्रार्थिनी को तंग परेशान करने व खर्चे से जैरबार करने के लिए उक्त दावा गलत आधारों पर पेश किया है। वादिनी ने उक्त अनुतोष का दावा मान्य न्यायालय में गलत आधारों पर पेश किया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादिनी का दावा कानूनी नुक्स से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में वादिनी का दावा खारिज किये जाने योग्य हैं। वादिनी का दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की तारीफ में आता है एवं प्रार्थिनी प्रतिवादीयां का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादिनी का दावा खारिज फरमाने की कृपा करें। वादी अधिवक्ता ने बहस करतें हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादिनी रेवन्ती देवी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है खारिज करने योग्य है। प्रतिवादिनी ने वादिनी के कब्जा कास्त व हक–हिस्सा की भूमि का विक्रय–पत्र गलत रूप से अपने पक्ष में निष्पादित करवाये हैं। उक्त विक्रय–पत्र गलत रूप से अपने पक्ष में निष्पादित करवाये हैं। उक्त विक्रय–पत्र कृषि–भूमि से सम्बन्धित है जो शुरू से ही अवैध व शून्य है व उक्त विक्रय–पत्रों को शुरू से ही अवैध व शून्य घोषित करवाने के लिए वादिनी ने उक्त दावा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है। कृषि भूमि से सम्बन्धित शुरू से ही अवैध व शून्य विक्रय–पत्रों को निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादिनी का उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज करने योग्य है। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी स्वयं द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किये गये होने से शून्य की श्रेणी में नही आता है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादिनी का दावा कानूनी नुक्स से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में वादिनी का दावा खारिज किये जाने योग्य हैं। वादिनी का दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी [illegible] में आता है एवं प्रार्थिनी प्रतिवादीयां का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया [illegible] वादिनी का दावा खारिज किया जाता है। पत्रा[illegible] निर्ण[illegible] रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] गया। (दिव्या) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.24 17:57:30 IST
Reason: SelfAttested